परिपत्र संख्या 02/2022

राजस्थान-सरकार
कार्यालय महानिरीक्षक, पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग, राजस्थान
"पंजीयन-भवन", अजमेर

क्रमांकः एफ-7(39)जन/बजट/2022/2450 दिनांक : 03-03-2022

~:~ परिपत्र ~:~

विषयः- कृषि भूमि एवं आवासीय मकानों के विक्रय पर उक्त सम्पत्तियों में स्थित कुएं एवं ट्यूबवैल के मूल्यांकन के संबंध में।

विभागीय मार्गदर्शिका, 2009 के परिपत्र संख्या-1/09 के पैराग्राफ 6 (ख) के खण्ड (V) में कृषि भूमि के मूल्यांकन के अन्तर्गत सिंचित व असिंचित भूमि के संबंध में दिये गये निर्देशों के तहत *"भूमि के साथ-साथ कुंआ अथवा बोरिंग विक्रय होने पर उसकी कीमत अलग से आंकी जावें। यदि जिला स्तरीय समिति द्वारा कुंओं की कीमत तय कर रखी हो तो उसके अनुसार मालियत आंकी जावे, अन्यथा कुंओं की 80000/- रूपये कीमत लगाई जावे तथा बोरिंग की 1,00,000/- रूपये की कीमत आंकी जावे।"* ऐसे निर्देश दिये गये थे।

बजट 2022-2023 में माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा बजट घोषणा संख्या-212 के उपबिन्दु-(ii) के द्वारा *"कृषि भूमियों एवं उस पर आवासीय मकानों के विक्रय की स्थिति में कुएं एवं ट्यूबवैल का वर्तमान में मूल्यांकन जोड़कर स्टाम्प ड्यूटी व पंजीयन शुल्क लिया जाता है। ऐसे कुएं एवं ट्यूबवैल के मूल्य पर देय स्टाम्प ड्यूटी एवं पंजीयन शुल्क में पूर्णतः छूट देने की घोषणा की गई है।"*

अतः माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा बजट भाषण 2022-2023 में की गई बजट घोषणा संख्या-212 के उपबिन्दु-(ii) की क्रियान्विति करने के लिए उक्त परिपत्र संख्या-1/09 के पैराग्राफ 6 (ख) के खण्ड (V) को एतद्द्वारा विलोपित किया जाता है तथा निर्देशित किया जाता है कि भविष्य में कृषि भूमियों एवं उस पर आवासीय मकानों के विक्रय की स्थिति में उक्त सम्पत्ति पर स्थापित कुएं एवं ट्यूबवैल की कीमत को ऐसी सम्पत्ति के पंजीयन के लिये किये जाने वाले मूल्यांकन में नहीं जोड़ा जावे।

3/3/22

(महावीर प्रसाद)
महानिरीक्षक,
पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग,
राजस्थान, अजमेर

क्रमांकः एफ-7(39)जन/बजट/2022/2451-3129 दिनांक : 03-03-2022

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. शासन सचिव, वित्त(राजस्व) विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2. संयुक्त शासन सचिव, वित्त(कर) विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. समस्त जिला कलक्टर एवं जिला पंजीयक, राजस्थान।
4. वरिष्ठ लेखा परीक्षा अधिकारी, एस.आर.ए.5/कार्यालय महालेखाकार, (वाणिज्यिक एवं प्राप्ति लेखा परीक्षा) राजस्थान, जनपथ, जयपुर।
5. पंजीयक, राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर।

6. अतिरिक्त महानिरीक्षक(प्रशासन) पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग, अजमेर / जयपुर।
7. संयुक्त विधि परामर्शी, मुख्यालय अजमेर।
8. वित्तीय सलाहकार / उप वित्तीय सलाहकार मुख्यालय, अजमेर।
9. निजी–सचिव, महानिरीक्षक, मुख्यालय अजमेर
10. समस्त उप महानिरीक्षक, पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग, राजस्थान।
11. संयुक्त निदेशक(कम्प्यूटर), मुख्यालय, अजमेर को परिपत्र की प्रति, विभाग की वेबसाईट igrs.rajasthan.gov.in पर अपलोड कराने हेतु।
12. उप विधि परामर्शी, मुख्यालय अजमेर।
13. समस्त उप राजकीय अभिभाषक, राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर।
14. समस्त आंतरिक लेखा जांच दल, मुख्यालय, अजमेर।
15. समस्त उप पंजीयकगण(पूर्णकालीन एवं पदेन), राजस्थान।

(ओंकार मल) 2/3/22
अतिरिक्त महानिरीक्षक(प्रशासन),
पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग,
राजस्थान, अजमेर।